

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जमुरी देवी बनाम रामजीलाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या- 02/167/2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए।

30.09.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 18/4047/0.06, 242/0.13, 35/0.41, 4008/2753/0.19, 4009/2753/0.19, 4011/306/0.02, 4014/633/0.13, 630/0.25, 631/4064/0.05, 180/0.24, 181/0.44, 4012/306/0.18, 632/0.32, 780/0.24, 188/0.27, 189/0.26, 197/0.43, 198/0.07, 4010/2753/0.19, 545/0.20, है 0 कुल किता 20 कु रकबा 4.27 है 0 वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ़ के प्रार्थीनी के 1/5 हिस्से में उसके कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत ना करें तथा विवादित आराजी को रहन बय मुत्तकिल ना रकें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है-

- (अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।
- (ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।
- (स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को आराजी के खसरा संख्या 18/4047/0.06, 242/0.13, 35/0.41, 4008/2753/0.19, 4009/2753/0.19, 4011/306/0.02, 4014/633/0.13, 630/0.25, 631/4064/0.05, 180/0.24, 181/0.44, 4012/306/0.18, 632/0.32, 780/0.24, 188/0.27, 189/0.26, 197/0.43, 198/0.07, 4010/2753/0.19, 545/0.20, है 0 कुल किता 20 कु रकबा 4.27 है 0 वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर को आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.11.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि विवादित आराजी पर वादी के हिस्से तक रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 11.11.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी  
राजगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख  
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

..... अधिमापक सम्बन्धित के कार्य  
स्थगित किया है। दिनांक .....

**G.D.O.**

13/01/25 पञ्जाबली पेशा वरुण उपख  
कुलवाप 09/25 CPC के खारीज  
हो जाने के कारण प्रा. पग 212  
में 09/25 CPC में खारीज  
किया जाता है पञ्जाबली नम्बर  
से कम होकर हाफ डालि कुलवाप  
मलमन होकर जमा लेख गूजार्  
है।

(FO 31 अधिमापक) G.D.O. 1  
\* सिविल जज, न्यायालय, राजगढ़  
8000

13/01/25

13/01/25

प.ड. (अधिका.प.) है। न्यायिक सिविल जज  
प.ड. सिविल जज (अधिका.प.) न्यायालय राजगढ़  
वि. न्यायिक (अधिका.प.) न्यायालय राजगढ़

13/01/25

प.ड. (अधिका.प.) है। न्यायिक सिविल जज  
प.ड. सिविल जज (अधिका.प.) न्यायालय राजगढ़  
वि. न्यायिक (अधिका.प.) न्यायालय राजगढ़